रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112024-258511
CG-DL-E-07112024-258511

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4446] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 7, 2024/कार्तिक 16, 1946
No. 4446] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 7, 2024/KARTIKA 16, 1946

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4827(अ).—सक्षम प्राधिकारी दिनांक 10 मई, 2006 के पूर्व अधिसूचना सं. 465 के पैरा 3 (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तें) में निम्नलिखित संशोधनों को इस अधिसूचना की तिथि से अनुमोदित करते हैं:-

2. उक्त अधिसूचना में -

(i) 3.9 क्रम सं. में निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:

"राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष ₹50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति माह के एक मानदेय के हकदार होंगे । पदेन सदस्य को छोड़कर राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का प्रत्येक सदस्य ₹40,000/- (चालीस हजार रूपए) प्रति माह के एक मानदेय का हकदार होगा । व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के अनुमोदन के साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मानदेय में जैसे और जहाँ आवश्यकता होगी आगामी संशोधन किया जाएगा।"

(ii) क्रम सं. 3.11 में, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:

"दौरा करते समय, स्थानीय यात्रा सहित, आयोग के कार्य के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष या सदस्य यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और अन्य यात्रा लागत जैसे कि होटल, गेस्ट हाउस इत्यादि में ठहरने की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होंगे, जैसा कि भारत सरकार के यात्रा भत्ता नियम के अंतर्गत भारत सरकार के एक सचिव को समय-समय पर स्वीकार्य होता है।“

(iii) क्रम सं. 3.12 में, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रस्थापित की जाएंगी:

"राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष या सदस्य आवासीय टेलीफोन/मोबाईल फोन/ ब्रोडबैंड से संबंधित बिल की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होंगे, जैसा कि भारत सरकार के एक सचिव को समय-समय पर स्वीकार्य होता है। अध्यक्ष/सदस्य

द्वारा एक अंडरटेकिंग भी जमा किया जाएगा कि उसने किसी अन्य स्रोत/संगठन से ऐसे बिल या व्यय के प्रतिपूर्ति की मांग नहीं की है।"

(iv) क्रम सं. 3.16 के बाद, क्रम सं.3.17 को निम्नासुसार डाला जाएगा:

"सरकारी सेवक के लिए लागू समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 का नियम 3 तथा सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. अथवा संगठनों और निकायों इत्यादि द्वारा गठित और इनके द्वारा वित्तपोषित विभिन्न समितियों के सदस्यों हेतु दिनांक 19 जुलाई 2019 की फाइल संख्या वाई -18020/3/2019 के तहत सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. द्वारा अधिसूचित समय-समय पर यथा संशोधित व्यावसायिक नैतिकता संहिता जो इनके द्वारा अर्जित किए गए आंकड़ों/सूचना की गोपनीयता को सुरक्षित रखने हेतु बनाए गए हैं; ये दोनों ही राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

[फा. सं. 12(1)/एनएससी/2023]

तनवीर कमर मोहम्मद, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2024

S.O. 4827(E).——The Competent Authority approves the following amendments in the Para 3 (Appointment, Tenure and Service Conditions of the Chairperson and Members) of the earlier notification No. 465 dated 10th May, 2006, with effect from the date of this notification:-

2. In the said Notification-

(i) In Serial No.3.9, the following entries shall be substituted:

"The Chairperson of the National Statistical Commission will be entitled for an honorarium of ₹ 50,000/- (Rupees Fifty Thousand) per month. Each Member of the National Statistical Commission, except ex-officio Member, will be entitled for an honorarium of ₹ 40,000/- (Rupees Forty Thousand) per month. The future revisions in the honorarium shall be made, as and when required, by the Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI) with the approval of the Department of Expenditure (DoE), Ministry of Finance (MoF)."

(ii) In Serial No. 3.11, the following entries shall be substituted:

"While undertaking tours, including local travel, in connection with the work of the Commission, the Chairperson or Members of the National Statistical Commission will be entitled to traveling allowance, daily allowance and for reimbursement of other travel costs, such as stay in a hotel guest house etc., as admissible from time to time to a Secretary to the Government of India under the traveling allowance rules of the Government of India."

(iii) In Serial No.3.12, the following entries shall be substituted:

"The Chairperson or Members of the National Statistical Commission will be eligible for reimbursement of bills relating to residential telephone / mobile phone / broadband as admissible from time to time to a Secretary to the Government of India. An undertaking would also be submitted by the Chairperson / Member that he/she has not claimed reimbursement of such bills or expenditure from any other source/ organisation"

(iv) After Serial No. 3.16, Serial No. 3.17 shall be inserted as follows:

"The Rule 3 of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, as amended from time to time, as applicable to a Government servant as well as the Code of Professional Ethics, as amended from time to time,

notified by MoSPI vide F.No.Y- 18020/3/2019-CAP dated 19th July 2019, for Members of the various Committees constituted by MoSPI or by the Organizations, Institutions and bodies etc., funded by it, has been formulated to protect the confidentiality of the data/information acquired by them; both shall be applicable *mutatis mutandis* to the Chairperson and Members of the National Statistical Commission."

[F. No. 12(1)/NSC/2023]

TANWEER QAMAR MOHAMMA, Jt. Secy.(Admin)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA